बाह्य परिपत्र संख्या 36 /डॉस- 03 /2023-2024 14 मार्च 2024
संदर्भ.सं.राबैं.प्रका.डॉस.नीति/ 4263 /जे-1/2023-2024

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया/महोदय,

ऋण जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट

कृपया हमारे पत्र संख्या राबैं.डॉस.प्रका.नीति./4586/जे-1/2009-10 (परिपत्र संख्या 18/ डॉस - 04/2010) दिनांक 20 जनवरी 2010 को देखें, जिसमें हमने एक व्यापक 'क्रेडिट जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) पर मार्गदर्शी नोट' प्रदान किया था। इस सलाह का उद्देश्य बैंकों को अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे को बढ़ाने में मार्गदर्शन करना है। आकार, व्यावसायिक जटिलता, जोखिम दर्शन और बाजार धारणा जैसे कारकों पर विचार करते हुए, इस ढांचे का डिज़ाइन प्रत्येक बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। यह व्यक्तिगत संस्थागत विशेषताओं के अनुरूप प्रभावी जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण पर जोर देता है।

2. जैसे-जैसे बैंकिंग प्रणाली की बैलेंस शीट बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जोखिम बढ़ने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। बैंकिंग उद्योग के भीतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप क्रेडिट कार्यों की विविधता और परिचालन दायरा दोनों का विस्तार हुआ है। नतीजतन, यह विस्तार ऋण जोखिम के नए स्रोतों और आयामों को प्रस्तुत करता है, जिससे वित्तीय संस्थानों के भीतर जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो रही है।

3. ऐतिहासिक साक्ष्य क्रेडिट जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हैं, क्योंकि ऐसा करने में विफलता के कारण पहले अपर्याप्त पूंजी रखरखाव और पूंजी पर्याप्तता अनुपात में गिरावट आई है। नतीजतन, वित्तीय संस्थानों के लिए अपनी पूंजी स्थिति और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मजबूत क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना अनिवार्य हो जाता है।

4. नाबार्ड बदलते ग्रामीण वित्तीय परिदृश्य से मेल खाने के लिए लगातार अपने पर्यवेक्षी तरीकों को अनुकूल बनाता रहता है। इसमें लगातार समीक्षा, दिशानिर्देश अपडेट, निर्धारित निरीक्षण और बैंकों के अनुपालन प्रस्तुतियों की कठोर निगरानी शामिल है। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की ओर चल रहे परिवर्तन के अनुरूप, 01 अप्रैल 2023 से पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के एक विशिष्ट समूह के लिए ई-कैमलएससी आधारित पर्यवेक्षी ढांचा लागू किया गया है। शेष एसई के पर्यवेक्षण में इस ढांचे का एकीकरण समय के साथ चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। ई-कैमलएससी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू एसई के भविष्योन्मुखी जोखिम आसूचना परिप्रेक्ष्य और पर्यवेक्षकों द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप प्रदान करना है।

5. निरंतर विकसित हो रहे बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचालित, पर्यवेक्षी अपेक्षाओं में वृद्धि और हितधारकों की ओर से बढ़ती जांच के कारण मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने का महत्व काफी बढ़ गया है। तदनुसार, यह महसूस किया गया है कि एसई में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए क्रेडिट जोखिम प्रबंधन पर दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। एसई के पास ऋण जोखिम को चिह्नित करने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने के साथ-साथ यह निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में गहन जागरूकता होनी चाहिए कि उनके पास इन जोखिमों के समक्ष पर्याप्त पूँजी है, और उन्हें उठाए गए जोखिमों हेतु पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इन बातों का ध्यान रखते हुए जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट को संशोधित किया गया है।

6. हमें खुशी होगी यदि आप इस परिपत्र की एक प्रति अपने बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष अगली बैठक में रखेंगे ताकि आपके बैंक में दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर उचित निर्णय लिया जा सके। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे **31 मार्च 2024** तक प्रभावी और सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन लागू करें।

7. कृपया इस परिपत्र की पावती अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

ह/-
(सुधीर कुमार रॉय)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: मार्गदर्शी नोट

मुख्य प्रलेख

प्रलेख शीर्षक	ऋण जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट
मसौदा तैयार किया गया	पर्यवेक्षण विभाग
अनुमोदन की तिथि	20 दिसंबर 2023
प्रलेख का वर्गीकरण	बाह्य
प्रलेख संख्या/ संस्करण संख्या	2.0

संस्करण का इतिहास

संस्करण संख्या	वित्तीय वर्ष	परिवर्तन / टिप्पणियाँ	द्वारा परिवर्तित किया गया
1.0	2010-11	नई नीति	-
2.0	2023-24	संशोधित	पर्यवेक्षण विभाग

संस्करण का अनुमोदन

संस्करण संख्या	अनुमोदन की तिथि	परिवर्तन / टिप्पणियाँ	द्वारा अनुमोदित किया गया
1.0	2009-10	नई नीति	पर्यवेक्षण निदेशक मंडल
2.0	2023-24	संशोधित	पर्यवेक्षण निदेशक मंडल

संदर्भ

क्रम संख्या	संदर्भ	संदर्भ संख्या
1	ऋण जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट	दिनांक 20 जनवरी 2010 को ज़ारी परिपत्र संख्या 18/डॉस-04/2010 (संदर्भ संख्या राबैं.डॉस.प्रका.नीति. /4586//जे-1/2009-10)

ऋण जोखिम प्रबंधन

पर

मार्गदर्शी नोट

नाबार्ड

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना 1

2. उद्देश्य 1

3. ऋण जोखिम नीति 2

4. ऋण जोखिम प्रबंधन की अभिशासन संरचना 3

5. ऋण जोखिम-वहन क्षमता तथा उत्प्रेरक 3

6. ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क 4

   6.1 ऋण जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन 5

   6.2 ऋण जोखिम मापन 6

   6.3 ऋण जोखिम शमन तथा प्रबंधन 7

   6.4 ऋण जोखिम नियंत्रण एवं अनुप्रवर्तन 9

   6.5 ऋण जोखिम रिपोर्टिंग ढाँचा 14

7. आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ परस्पर क्रिया 15

8. दबाव परीक्षण 16

9. अनुबंध I - अभिशासन संरचना 17

10. अनुबंध II - प्रतिरक्षा के तीन अंगों की भूमिकाएँ 19

11. अनुबंध III - जोखिम वहन-क्षमता विवरण का नमूना 21

12. अनुबंध IV - ऋण मूल्यांकन और आकलन 23

13. अनुबंध V - ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क की बुनियादी संरचना 26

ऋण जोखिम प्रबंधन पर मार्गदर्शी नोट

1. प्रस्तावना

ऋण पोर्टफोलियो आज भी बैंक के तुलन-पत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग है. अतः ऋण जोखिम के प्रति एक्सपोज़र आज भी बैंकों के वित्तीय जोखिम का एक अग्रणी स्रोत है. यह आवश्यक हो गया है कि बैंकों को ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण के साथ-साथ यह निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में गहन जागरूकता होनी चाहिए कि उनके पास इन जोखिमों के समक्ष पर्याप्त पूँजी है, और उन्हें उत्पन्न जोखिमों हेतु पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति किया जाता है.

ऋण जोखिम को उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से संबंधित हानियों की संभाव्यताओं के रूप में परिभाषित किया गया है. ऋण जोखिम एक वैयक्तिक लेनदेन जोखिम या विविध ऋण लेनदेनों का संयोजन हो सकता है, जिसे पोर्टफोलियो जोखिम कहा जाता है. लेनदेन जोखिम को आगे चूक जोखिम और रेटिंग के माइग्रेशन या डाउनग्रेड रेटिंग जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है. पोर्टफोलियो जोखिम में आंतरिक और संकेन्द्रण जोखिम शामिल हैं. बैंकों का ऋण जोखिम बाह्य तथा आंतरिक दोनों घटकों पर निर्भर करता है. आंतरिक घटक बैंक की ऋण और ऋण नीतियों, दोषयुक्त विवेक और ऋण संकेन्द्रण सीमाओं, उधारकर्ताओं की परिस्थितियों का दोषपूर्ण मूल्यांकन तथा वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन का अभाव, ऋण समीक्षा प्रक्रिया में समस्याओं और मंजूरी के पश्चात् अपर्याप्त/ कमजोर निगरानी और अनुप्रवर्तन से संबंधित हैं. ऋण जोखिम बैंकों की सभी व्यावसायिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न हो सकता है जैसे ऋण वितरण, गारंटियाँ, ऋण-पत्र, ट्रेजरी उत्पाद, प्रतिभूति व्यापार व्यवसाय और साथ ही व्यापक आर्थिक माहौल के आधार पर अलग-अलग स्तर तक सीमा-पार एक्सपोज़र आदि.

ऋण जोखिम प्रबंधन जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से अनिश्चितताओं का प्रबंध करने हेतु एक सुसंरचित उपागम है. ऋण जोखिम प्रबंधन ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पहचान, मापन, अनुप्रवर्तन और नियंत्रण प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है. ऋण जोखिम का प्रभावशाली प्रबंधन व्यापक जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है और बैंकिंग संगठन के दीर्घकालिक कार्य-निष्पादन हेतु महत्वपूर्ण है.

2. उद्देश्य

एक सुदृढ़ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का लक्ष्य एक प्रभावी और उचित ऋण प्रअभिशासन, ऋण मापन तथा अनुप्रवर्तन प्रक्रिया का अनुरक्षण, ऋण जोखिम पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए ऋण मंजूरी प्रक्रिया हेतु एक उचित ऋण जोखिम वातावरण स्थापित करना है. तदनुसार ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य बैंकों को निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करना है:

क) ऋण जोखिम प्रबंधन के सुदृढ़ सिद्धांतों को स्थापित करना

ख) प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना

ग) प्रासंगिक घटकों के पर्याप्त आकलन के आधार पर सुविज्ञ ऋण संबंधी निर्णय लेकर प्रतिलाभ में वृद्धि करना

घ) ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं तथा उच्चतम व्यावसायिक प्रथाओं का अनुपालन करना

3. ऋण जोखिम नीति

प्रत्येक बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति प्रलेख होना चाहिए. ऋण जोखिम नीति में जोखिम की पहचान, जोखिम मापन, जोखिम ग्रेडिंग/ संग्रहण तकनीक, रिपोर्टिंग और जोखिम नियंत्रण/ शमन तकनीक, प्रलेखीकरण, कानूनी मुद्दे, तथा संदिग्ध ऋणों का प्रबंधन शामिल होना चाहिए.

ऋण जोखिम नीतियों को लक्ष्यित बाज़ार, जोखिम स्वीकृति मानदंड, ऋण अनुमोदन प्राधिकरण, ऋण उद्भवन/ अनुरक्षण प्रक्रियाएँ तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन के दिशानिर्देशों को भी परिभाषित करना चाहिए.

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीतियों की सूचना शाखाओं/ नियंत्रण कार्यालयों को दी जानी चाहिए. सभी संबंधित अधिकारियों को ऋण मंजूरी के प्रति बैंक के दृष्टिकोण की स्पष्ट समझ होनी चाहिए तथा उन्हें सभी स्थापित नीतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए.

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति के कार्यान्वयन हेतु बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन उत्तरदायी होगा. नीति प्रलेख निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा नियमित रूप से (वार्षिक आधार पर) उसकी समीक्षा की जानी चाहिए. ऋण जोखिम नीति में कम से कम निम्नलिखित कारक शामिल होने चाहिए:

i. विस्तार
ii. उद्देश्य
iii. प्रयोज्यता
iv. ऋण जोखिम प्रबंध की अभिशासन संरचना
v. ऋण जोखिम-वहन क्षमता और उत्प्रेरक
vi. ऋण जोखिम प्रबंधन हेतु फ्रेमवर्क
    क. ऋण जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन
    ख. ऋण जोखिम मापन तथा विश्लेषण
    ग. ऋण जोखिम शमन तथा प्रबंधन
    घ. ऋण जोखिम नियंत्रण तथा अनुप्रवर्तन
    ङ. ऋण जोखिम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
vii. आंतरिक लेखापरीक्षा के साथ परस्पर क्रिया
viii. दबाव परीक्षण

4. ऋण जोखिम प्रबंधन की अभिशासन संरचना

एक प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन तंत्र के सफल कार्यान्वयन हेतु सुदृढ़ संगठनात्मक संरचना अत्यावश्यक है. ऋण जोखिम-वहन क्षमता, उत्प्रेरकों तथा विभिन्न जोखिम संबंधी प्रक्रियाओं के अनुमोदन हेतु अभिशासन संरचना के तहत भूमिकाएँ तथा जिम्मेदारियाँ निर्धारित होनी चाहिए. अभिशासन संरचना में रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में अभिशासन संरचना के प्राधिकारों का प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए. **एक विस्तृत अभिशासन संरचना अनुबंध I में दी गई है.**

उपरोक्त अभिशासन संरचना के अलावा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए ताकि ऋण संबंधी कार्य, ऋण जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा का सुस्पष्ट वर्गीकरण किया जा सके. एक प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन तंत्र के लिए बैंकों के ऋण जोखिम से संबंधित रक्षा के तीन स्तर होना अत्यावश्यक है. इन तीन स्तरों के कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

रक्षा के तीन स्तर	ऋण संबंधी कार्य (व्यवसायिक कार्य)
व्यवसाय विभाग (फ्रंट ऑफिस)	व्यवसाय विभाग बतौर ऋण विभाग ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार व्यावसायिक कार्य करेगा. व्यवसाय विभाग ग्राहक चुनाव, ऋण विश्लेषण, ऋण अनुमोदन तथा प्रलेखीकरण, ऋण संवितरण, आदि जैसी गतिविधियाँ करता है.
जोखिम प्रबंधन कार्य (मिडिल ऑफिस)	जोखिम प्रबंधन कार्य में जोखिम की पहचान और मूल्यांकन, जोखिम मापन, शमन, तथा अनुप्रवर्तन सहित ऋण जोखिम का प्रबंधन शामिल है. बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय विभाग तथा जोखिम प्रबंधन कार्य में स्पष्ट विभाजन हो.
आंतरिक लेखा परीक्षा (बैक ऑफिस)	एक स्वतंत्र इकाई होने के तौर पर आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य बैंक के समग्र ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की रूपरेखा तथा परिचालन प्रभावशीलता पर मूल्यांकन प्रदान करता है.

*रक्षा के तीन स्तर की सांकेतिक सूची **अनुबंध II** में दी गई है.*

5. ऋण जोखिम-वहन क्षमता तथा उत्प्रेरक

जोखिम-वहन क्षमता जोखिम स्वीकार करने के संबंध में बैंक की सम्मति की एक औपचारिक अभिव्यक्ति है. जोखिम-वहन क्षमता उस ऋण जोखिम के विस्तार और केंद्र-बिन्दु को निर्दिष्ट करता है, जिसे बैंक अपने एक्सपोज़र तथा व्यावसायिक गतिविधियों में ग्रहण करने हेतु सक्षम तथा सम्मत हो. जोखिम वहन-क्षमता को परिभाषित करने, तथा बैंक की रणनीतिक पूँजी, वित्तीय आयोजनाओं तथा क्षतिपूर्ति संबंधी प्रथाओं के साथ उसके संरेखण को सुनिश्चित करने में निदेशक मंडल एक सक्रिय भूमिका निभाएगा.

5.1 जोखिम-वहन क्षमता के निर्धारण के दौरान बैंकों को:

i. मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों विचारों को शामिल करना चाहिए
ii. एकल तथा सकल दोनों स्तर पर उन जोखिमों को स्थापित करना चाहिए, जिसे बैंक अपने जोखिम वहन क्षमता के भीतर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए अग्रिम रूप से ग्रहण करने हेतु सम्मत हो.
iii. उन सीमाओं और व्यावसायिक विचारों को परिभाषित करना चाहिए जिनके अनुसार बैंक से अपनी व्यावसायिक रणनीति और परिचालन को आगे बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है

5.2 जोखिम-वहन क्षमता विवरण की विषयवस्तु निम्नलिखित कारकों के समरूप होगी लेकिन यह विषयवस्तु इन कारकों तक सीमित नहीं होगी:

i. व्यवसाय-वार क्षेत्रीय संकेन्द्रण
ii. उत्पाद-वार वित्तपोषित ऋण संकेन्द्रण (सावधि ऋण, मध्यावधि ऋण, मांग ऋण, सतत ऋण, आदि का संघटन)
iii. उत्पाद-वार गैर-वित्तपोषित ऋण संकेन्द्रण (बैंक गारंटी, मंजूरी, आदि का संघटन)
iv. क्षेत्र-वार/ भौगोलिक तथा परिपक्वता के आधार पर ऋण संकेन्द्रण
v. व्यावसायिक खंड-वार संकेन्द्रण (कॉरपोरेट, एमएसएमई, खुदरा, सूक्ष्म ऋण, कार्ड, आदि)
vi. बाह्य/ आंतरिक ऋण रेटिंग पर आधारित ग्राहक संकेन्द्रण
vii. पोर्टफोलियो प्रतिशत के संबंध में वर्गीकरण सीमाएं, जिसके उपरांत वृद्धि रुक सकती है

निदेशक मंडल को स्वीकार्य जोखिम-वहन क्षमता को, दैनिक निर्णय-लेने की प्रक्रिया से जोड़कर, पूरे बैंक में जोखिम के मुद्दों और रणनीतिक चिंताओं को उठाने के साधन स्थापित करते हुए, समग्र बैंक में प्रभावी ढंग से सूचित किया जाएगा. जोखिम-वहन क्षमता विवरण का सांकेतिक प्रारूप **अनुबंध III** में दिया गया है.

6. ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क

मौजूदा व्यावसायिक वातावरण में ऋण जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है. ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के पाँच घटक निम्नलिखित हैं:

1. ऋण जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन
2. ऋण जोखिम मापन तथा विश्लेषण
3. ऋण जोखिम शमन तथा प्रबंधन
4. ऋण जोखिम नियंत्रण तथा अनुप्रवर्तन
5. ऋण जोखिम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क

6.1 ऋण जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन

6.1.1 ऋण जोखिम की पहचान

ऋण जोखिम प्रबंधन का पहला चरण ऋण जोखिम की पहचान करना है. ऋण जोखिम की पहचान करने की प्रक्रिया ऋण तथा लीज़ जैसे वित्तीय लेनदेनों में संभावित जोखिमों को पता करने पर केंद्रित है. बैंक में मौजूदा ऋण जोखिम की पहचान करने हेतु बैंकों को चेकलिस्ट, पूर्व चेतावनी संकेतक जैसी प्रक्रिया तथा साधन अपनाने चाहिए.

ऋण जोखिम की पहचान करने हेतु बैंक को निम्नलिखित तकनीक अपनाने चाहिए:

क) **प्रभावी प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस):** बैंकों के पास एक एमआईएस स्थापित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके जोखिम सीमाओं के निकट एक्सपोज़र को वरिष्ठ प्रबंधन के ध्यान में जाता है. बैंक का सूचना तंत्र वैयक्तिक उधारकर्ताओं और प्रतिपक्षों के समक्ष ऋण एक्सपोज़र एकत्रित करने तथा सार्थक एवं सामयिक आधार पर ऋण जोखिम सीमाओं में अपवादों को रिपोर्ट करने हेतु सक्षम होना चाहिए.

ख) **निरंतर समीक्षा:** बैंक को उधारकर्ता की वित्तीय स्थिरता, चुकौतियों में नियमितता, चूक करने की प्रवृत्ति को समझने हेतु उसके/ उसकी प्रोफ़ाइल का अनुप्रवर्तन करना चाहिए. बैंकों द्वारा आय का स्रोत, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति, सिबिल स्कोर, उधारकर्ता द्वारा चूक की जाने के संबंध में मनोस्थिति आदि सहित विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की जाए.

बैंकों को ऋण प्रशासन प्रक्रिया, हानियों हेतु पर्याप्त प्रावधान सहित ऋण रेटिंग की शुद्धता, तथा ऋण पोर्टफोलियो की समग्र गुणवत्ता का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्वतंत्र, अविरत समीक्षा हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिए. सभी सुविधाएँ न्यूनतम तिमाही आधार पर समीक्षा के अधीन होनी चाहिए. नए खातो की, जिनके संबंध में बैंक बाध्यताधारी से परिचित न हो, तथा वर्गीकृत या उन प्रतिकूल-रेटिंग वाले खातो की अधिक बार समीक्षा की जानी चाहिए, जिनके चूक करने की संभाव्यता अधिक हो.

ग) **मूल-कारण का विश्लेषण:** मूल-कारण को पता करना जोखिम की पहचान करने की एक और प्रभावी तकनीक है, जो किसी घटना के होने के कारण को दर्शाती है. इसके द्वारा यह सूचना प्रदान की जाती है कि हानि किस कारण हुई और कहाँ बैंक सुभेद्य था. व्यवसाय विभागों को परिचालनात्मक लेखा परीक्षा के माध्यम से ऐसे अभ्यास संचालित करने चाहिए. नए ऋणों के मामले में ऐसे विश्लेषण के निष्कर्षों को प्रयोग में लाया जाए.

घ) **एसडब्ल्यूओटी (स्वॉट) विश्लेषण:** ऋणों/ निवेशों के अनुमोदन के समय ऋण/ निवेश से संबंधित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए.

ङ) **पूर्व चेतावनी संकेतक:** बैंकों को जोखिमों की पहचान करने हेतु पूर्व चेतावनी संकेतकों का एक तंत्र स्थापित करना चाहिए.

च) **दबाव परीक्षण:** दबाव परीक्षाएँ जोखिम की पहचान करने हेतु एक तकनीक है, जो डाउनग्रेड जोखिम, संकेन्द्रण जोखिम, संपार्श्विक में ह्रास आदि की पहचान करने में सहायता करता है. पूँजी पर्याप्तता तथा लाभप्रदता पर बैंकों को बढ़ते हुए एनपीए, संकेन्द्रण जोखिम आदि के प्रभाव का आकलन करने हेतु ऋण जोखिम का दबाव परीक्षण करना चाहिए.

6.1.2 ऋण जोखिम का मूल्यांकन तथा अनुमोदन:

ऋण वितरण के समय बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन या ऋण निर्धारण किया जाता है ताकि नए प्रतिबंध लगाए जाने के या किसी मौजूदा ग्राहक की सुविधाओं को नवीकृत करने के समय कुछ संकेतों के संबंध में उपागम किए जा सके तथा सावधानियाँ बरती जा सके. ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया में ऋण हेतु पात्रता, ऋण/ निवेश की प्रमात्रा, ऋण सुपुर्दगी के साथ-साथ ऋण के नियमों और शर्तों का निर्धारण शामिल है.

ऋण मूल्यांकन की जानकारी संबंधित ऋण नीति में इंगित व्यापक घटकों को ध्यान में रखते हुए इस नीति में शामिल की जाएगी. ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया में कम से कम अनुबंध IV में दिए गए घटकों को शामिल किया जाना चाहिए.

6.2 ऋण जोखिम मापन

बैंक को उन मापन तकनीकों को अपनाना चाहिए, जो मजबूत आंकड़ों तथा परिणामों के आवधिक सत्यापन पर आधारित उनकी गतिविधियों में निहित जोखिमों की जटिलता तथा स्तर के अनुकूल हो. ऋण जोखिम का मापन ऋण की विशेष प्रकृति, उसके संविदात्मक तथा वित्तीय स्थितियों (परिपक्वता, ब्याज दर, आदि), संपार्श्विक या गारंटियों की स्थिति और आंतरिक जोखिम रेटिंग के आधार पर चूक की संभाव्यता को ध्यान में रखता है. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अंतर्निहित ऋण जोखिम और अवशिष्ट प्रभाव पर आधारित जोखिम मापन नियमित रूप से तथा बैंक-व्यापी आधार पर किया जाए. ऋण जोखिम के मापन हेतु बैंकों द्वारा निम्नलिखित तकनीकों को अपनाया जाए:

6.2.1 ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क

किसी ग्राहक/ बाध्यताधारी को ऋण सुविधा को मंजूर करने के पूर्व आंतरिक जोखिम मूल्यांकन मॉडल के अनुसार जोखिम स्तर का मापन किया जाना चाहिए. आंतरिक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क एक ऋण एक्सपोज़र से संबंधित जोखिमों के प्रारंभिक सारांश संकेतक के रूप में एक संख्या/ वर्ण/ चिह्न सौंपता है. आंतरिक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क को बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त ऋण रेटिंग के साथ मैप किया जाए.

जोखिम रेटिंग मॉडलों की शुद्धता तथा वैधता सुनिश्चित करने हेतु नियमित आधार पर तकनीकी रूप से समीक्षा किया जाना आवश्यक है. ऋण रेटिंग का एक सांकेतिक फ्रेमवर्क **अनुबंध V** में दिया गया है.

6.2.2 जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण:

बैंकों द्वारा किसी भी ऋण के साथ जोखिम/प्रतिलाभ संबंध और साथ ही खातागत संबंध के समग्र लाभप्रदता का आकलन किया जाना चाहिए. ऋण का मूल्य निर्धारण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उसमें सभी संबद्ध लागत तथा बैंक द्वारा उठाए गए जोखिमों हेतु क्षतिपूर्ति शामिल हो. यह मूल्यांकन करने में कि क्या और किन शर्तों पर ऋण देना है, बैंकों को मूल्य तथा गैर-मूल्य (उदाहरण के लिए संपार्श्विक, प्रतिबंधक करार, आदि) शर्तों को यथासंभव ध्यान में रखते हुए संभावित आय के समक्ष जोखिमों का आकलन करने की आवश्यकता है. जोखिम का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में बैंकों को संभावित नकारात्मक परिदृश्यों, तथा उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन करना चाहिए. बैंकों में ऋण या समग्र संबंध का मूल्य-निर्धारण उचित रूप से न करने की प्रवृत्ति एक सामान्य समस्या है, जिसके कारण उनके द्वारा उठाए गए जोखिमों पर उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होती है.

मौजूदा परिदृश्य में बैंकों द्वारा जोखिम प्रीमियम लगाया जा सकता है, जिसे वे प्रत्येक जोखिम ग्रेड के समक्ष प्रभारित कर सकते हैं. उधारकर्ता तथा उत्पाद/ सुविधा के प्रकार की जोखिम रेटिंग के आधार पर लागतोपरि मूल्य-निर्धारण का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है.

6.2.3 जोखिम समायोजित प्रतिलाभ/ पूँजी:

क. **जोखिम समयोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (आरओआरएसी):** आरओआरएसी पूँजी आवंटित करके अप्रत्याशित हानि के जोखिम पर विचार करता है और इसका उपयोग आवश्यक पूँजी के सापेक्ष उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है.

ख. **पूँजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी):** आरएआरओसी जोखिम-समायोजित वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करने तथा पूरे व्यवसाय में लाभप्रदता पर एक नियमित समीक्षा प्रदान करने वाला एक जोखिम-आधारित लाभप्रदता फ्रेमवर्क है. आरएआरओसी प्रतिलाभ और आवंटित पूँजी दोनों को संबंधित जोखिमों के लिए समायोजित करता है. यह लाभप्रदता का एक अनुपात है, जिसका प्रयोग व्यवसायिक इकाई के स्तर पर निहित जोखिमों के आधार पर वैकल्पिक निवेश जोखिमों की तुलना करने हेतु किया जाता है.

6.3 ऋण जोखिम शमन तथा प्रबंधन

ऋण जोखिम शमन का संदर्भ किसी एक्सपोज़र में तृतीय पक्ष की गारंटी/ बीमा आदि जैसे मूर्त तथा वसूली योग्य प्रतिभूतियों का प्रयोग कर ऋण जोखिम को कम करने से है.

जोखिम शमन की पद्धतियाँ:

1. पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन
2. संपार्श्विक प्रबंधन
3. वित्तीय गारंटियाँ

6.3.1 पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन:

एक्सपोज़र सीमाओं में किसी प्रकार के उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप जोखिम भार तथा पूँजी आवश्यकता में वृद्धि हो, की जाँच करने हेतु ऋण पोर्टफोलियो का नियमित आधार पर अनुप्रवर्तन किया जाना चाहिए. पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन सर्वप्रथम संगठन के कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उसकी स्पष्ट रूप से निर्धारित जोखिम-वहन क्षमता से उत्पन्न होती है. पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन मुख्यतः 'संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन' के माध्यम से किया जाता है. संकेन्द्रण जोखिम बैंक के एक्सपोज़र में निहित व्यवसाय/ क्षेत्रों, उत्पादों, क्षेत्र/ भौगोलिक क्षेत्र तथा वैयक्तिक उधारकर्ता/ उधारकर्ताओं के समूह में बैंक के समग्र बकाया ऋण खातों को संदर्भित करता है.

बैंकों को ऋण संकेन्द्रण जोखिम के संबंध में निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए:

- क्षेत्र-वार एक्सपोज़र,
- संभाग-वार एक्सपोज़र (भौगोलिक संकेन्द्रण),
- समूह-वार एक्सपोज़र (से अधिक बकाया राशि),
- एकल उधारकर्ता-वार एक्सपोज़र (से अधिक बकाया राशि),
- शीर्ष उधारकर्ता-वार एक्सपोज़र (शीर्ष 10-50 उधारकर्ताओं की गणना की जाएगी)

बैंकों को संकेन्द्रण जोखिम के सभी संभावित आयामों में स्थित संकेन्द्रण पर आंतरिक सीमाएं स्थापित करनी चाहिए तथा उस श्रेणी में ऋणों की संख्या को कम करने और पूँजी जुटाने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए, या इन दोनों गतिविधियों को संयुक्त रूप से करना चाहिए. बैंक को यथोचित तथा आवधिक रूप से ऋण पोर्टफोलियो का आकलन करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक किसी उच्च संकेन्द्रण जोखिम की स्थिति में न हो.

6.3.2 संपार्श्विक प्रबंधन:

मूलतः संपार्श्विक प्रबंधन ऋण में वृद्धि करने हेतु एक तकनीक है जो बैंक के एक्सपोज़रों से संबंधित किसी ऋण संबंधी घटना से आस्तियों की रक्षा करता है. संपार्श्विक उधारकर्ता या प्रतिपक्षों के किसी व्यापक आकलन का विकल्प नहीं हो सकता है, न ही यह अपर्याप्त सूचना की क्षतिपूर्ति कर सकता है. यह समझा जाना चाहिए कि कोई ऋण प्रवर्तन संबंधी गतिविधियाँ (उदाहरण के लिए मोचन-निषेध कार्यवाही) लेनदेन पर लाभ मार्जिन को समाप्त कर सकती है. इसके अलावा, यह नोट किया जाना चाहिए कि संपार्श्विक का मूल्य उन्हीं घटकों द्वारा कम हो सकता है, जिनके कारण ऋण की वसूली में कमी आई है. एक्सपोज़र के समक्ष हानि को कम करने हेतु बैंकों को आवश्यक ऋण जोखिम बीमा तथा वित्तीय गारंटियाँ प्राप्त करना चाहिए. तदनुसार, बैंकों के पास एक व्यापक संपार्श्विक प्रबंधन तंत्र होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित पहलू निहित हों:

1. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन नीति, जो संपार्श्विक के विभिन्न प्रकारों के स्वीकार्यता, विधिक प्रलेखीकरण, कस्टडी, बीमा प्रक्रियाओं, तथा संपार्श्विक के मूल्य निर्धारिण हेतु यथोचित पद्धतियों को रेखांकित करती हो.
2. एक प्रक्रिया हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपार्श्विक प्रवर्तनीय तथा वसूली योग्य है, और आगे भी रहेगा.
3. संपार्श्विक के विभिन्न वर्गों हेतु उचित मूल्य-निर्धारण की आवधिकता परिभाषित हो.
4. संपार्श्विक के मूल्य में कमी के मामले में कार्रवाई का स्वरूप तथा उत्तरदायी प्राधिकारी यथोचित रूप से परिभाषित हों.
5. वसूली/ संग्रहण की आयोजना उचित रूप से प्रलेखित हो जिसमें प्रकृति, गुण पर आधारित ऋण जोखिम शमन के प्रकारों को विशिष्ट रूप से चुनने तथा ऋण जोखिम शमन के प्रकारों के विधिक प्रभावों हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हों.
6. उधारकर्ता की स्थायी तथा विपणन प्रतिष्ठा, एक अच्छा उधारकर्ता प्राप्त करने हेतु बैंकों में प्रतिस्पर्धा, एक विशिष्ट और स्तर वाले ऋण जोखिम शमन के प्रकार को प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था में ऋण की माँग जैसे सभी कारकों पर वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा विचार किया जाता हो.

6.4 ऋण जोखिम नियंत्रण एवं अनुप्रवर्तन

6.4.1 ऋण जोखिम अनुप्रवर्तन फ्रेमवर्क:

ऋण जोखिम के अनुप्रवर्तन हेतु एक ऋण जोखिम फ्रेमवर्क बैंको को स्थापित करना चाहिए. इस अनुप्रवर्तन फ्रेमवर्क निम्नलिखित प्रयास करेगा:

i. लंबित, छूटे हुए, या आंशिक भुगतान सहित ऋण करारों की आवश्यकताओं से किसी प्रकार के विचलन सहित उधारकर्ताओं के भुगतान संबंधी व्यवहार का मूल्यांकन.
ii. बैंकों द्वारा निर्धारित एक्सपोज़र सीमाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन.
iii. एक्सपोज़र सीमाओं में हुए किसी उल्लंघन की पहचान तथा सुधारात्मक कार्रवाई का निर्धारण.
iv. क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, उत्पाद, या समूह स्तरों पर संकेन्द्रण जोखिम का अनुप्रवर्तन.
v. हानि, हानि में परिवर्तन, निरस्तीकरण, तथा किसी ऋण एक्सपोज़र हेतु मूल्य समायोजन से संबंधित अन्य निर्णयों का आकलन.
vi. जोखिम एक्सपोज़र को स्वीकार्य स्तर तक लाने हेतु पर्याप्त नियंत्रण उपायों की स्थापना.

आवृत्ति, चरण, सुधारात्मक कार्रवाई तथा रिपोर्टिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी ऋण जोखिम नियंत्रण और अनुप्रवर्तन फ्रेमवर्क में शामिल की जाएगी.

6.4.2 ऋण रेटिंग माइग्रेशन:

आंतरिक जोखिम रेटिंग प्रणाली वैयक्तिक ऋण/ निवेश के साथ-साथ कुल पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का अनुप्रवर्तन करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है. मंजूरी/ निवेश के समय वैयक्तिक उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों को प्रदत्त रेटिंग की

समीक्षा व्यवसाय विभागों द्वारा आवधिक आधार पर की जानी चाहिए तथा जब भी स्थितियों में सुधार या गिरावट आए, एक नई रेटिंग प्रदान की जानी चाहिए.

6.4.3 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का अनुप्रवर्तन:

अनर्जक आस्तियों का अनुप्रवर्तन ऋण जोखिम अनुप्रवर्तन की एक महत्वपूर्ण तकनीक है. इसका उद्देश्य एक संभाव्य समस्यामूलक ऋण की समय-पूर्व पहचान करना तथा वर्गीकरण करना है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके. परियोजनाओं की संभावित व्यवहार्यता के अधीन अवमानक वर्ग के भीतर आस्तियों को नियमित अनर्जक आस्तियों के अनुप्रवर्तन स्वरूप पुनःसंरचना/ पुनः अनुसूचीकरण के पश्चात् मानक वर्ग में वापस लाया जाए. अनर्जक आस्तियों के अनुप्रवर्तन फ्रेमवर्क में कम से कम निम्नलिखित मदें शामिल होनी चाहिए:

- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनर्जक आस्ति प्रबंधन नीति, जो खाते के कमजोर होने के संबंध में पूर्व संकेत (यानि जब खाता के कमजोर होने का पहला संकेत दर्शाने लगता है) की पहचान हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करती हो.
- बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन जो यह सुनिश्चित करता हो कि क्विक मॉर्टेलिटी के मामलों में पहचानी गई ऋण अनुमोदन प्रक्रिया में चूक को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाता है, ताकि भविष्य में क्विक मॉर्टेलिटी की घटनाओं को रोका जा सके.
- क्विक मॉर्टेलिटी कं कारण तथा जिम्मेदार प्राधिकारियों की पहचान करने हेतु एक फ्रेमवर्क.
- प्रभावी अनुप्रवर्तन हेतु सामयिक आधार पर ऋण की संभावित समस्याओं की पहचान करने तथा उन्हें वर्गीकृत करने हेतु एक प्रणाली.
- ऐसे संभाव्य समस्यामूलक ऋण का परिचालन लेखा परीक्षा आयोजन जिससे आस्ति के अनर्जक होने के कारणों का आकलन किया जा सके और यथासमय खाते को अपग्रेड करने हेतु यथोचित कार्रवाई की जा सके.
- कानूनी कार्रवाई तथा अन्य कार्रवाई स्थापित की जाए जिसके माध्यम से अनर्जक आस्तियों की अन्य श्रेणियों (संदेहजनक तथा हानिग्रस्त आस्तियाँ) की वसूली की जा सके.

6.4.4 तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र में ऋण जोखिम:

तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र के कारण हुए ऋण जोखिम को कम करने हेतु बैंकों द्वारा कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:

- बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभूति, जो वित्तपोषित व्यवस्थाओं के लिए उपलब्ध है, वह साख पत्र (एलसी) व्यवस्थाओं तथा गारंटी सुविधाओं को भी शामिल करती हों. कुछ मामलों में, अचल संपत्तियों पर भी शुल्क लेना उचित होगा, विशेषतः दीर्घकालिक गारंटी के मामले में.
- संविदाओं को कवर करने वाली गारंटियों के मामले में बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहकों के पास संविदाओं को निष्पादित करने हेतु आवश्यक तकनीकी कौशल हो. संविदाओं के मूल्य का निर्धारण

मामला-दर-मामला होना चाहिए तथा प्रत्येक संविदा हेतु पृथक सीमाएँ स्थापित की जानी चाहिए. प्रत्यक्ष तथा वित्तीय संकेतकों के माध्यम से प्रगति का नियमित रूप से अनुप्रवर्तन किया जाना चाहिए, तथा किसी भी प्रकार के चूक को ऋण समीक्षा में विशिष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए.

- आय बढ़ाने की दृष्टि से गैर-निधि सुविधाओं को मंजूरी प्रदान करने की रणनीति मौजूदा जोखिम के साथ-साथ उचित रूप से संतुलित की जानी चाहिए तथा ऋण जोखिम का व्यापक मूल्यांकन करने के पश्चात् ही इसे प्रदान किया जाना चाहिए.

6.4.5 ऋण समीक्षा तंत्र/ ऋण लेखा परीक्षा:

ऋण समीक्षा तंत्र एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो ऋण के प्रशासन की प्रभावशीलता, ऋण रेटिंग प्रक्रिया की अखंडता का मूल्यांकन करता है और ऋण हानि प्रावधानों, पोर्टफोलियो गुणवत्ता आदि का आकलन करता है. यह समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा मंजूरी और मंजूरी के बाद की प्रक्रियाओं/ क्रियाविधियों के अनुपालन की जाँच करता है.

1) **ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) के उद्देश्य:**

i. ऋण अशक्तता को विकसित करने वाले ऋणों की तुरंत पहचान करना और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना.
ii. पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और संभावित समस्या क्षेत्रों को पृथक करना.
iii. ऋण हानि प्रावधान की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए जानकारी प्रदान करना.
iv. ऋण संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ-साथ प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करना.
v. ऋण मंजूरी प्रक्रिया, जोखिम मूल्यांकन और मंजूरी पश्चात निगरानी/अनुवर्ती कार्रवाई सहित ऋण प्रशासन संबंधी जानकारी के साथ शीर्ष प्रबंधन प्रदान करना.
vi. ऋण जोखिम मूल्यांकन की एक स्वतंत्र समीक्षा प्रदान करना.
vii. वांछित पोर्टफोलियो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कदम उठाना.
viii. पोर्टफोलियो समीक्षा करने, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और संभावित समस्याओं को पृथक करना.

2) **ऋण समीक्षा तंत्र/ ऋण लेखा परीक्षा की संरचना:**

ऋण लेखा परीक्षा/ ऋण समीक्षा तंत्र किसी विशिष्ट विभाग अथवा निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग को सौंपा जा सकता है.

3) **ऋण समीक्षा तंत्र का दायरा और कार्यक्षेत्र:**

ऋण लेखा परीक्षा के दायरे को लेखा कार्य से बढ़ाकर समग्र पोर्टफोलियो और अपनाई जा रही ऋण प्रक्रिया तक किए जाने की आवश्यकता है. ये महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हैं:

पोर्टफोलियो समीक्षाः ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की जाँच करना और सुधार के उपायों का सुझाव देना, जिसमें कुछ क्षेत्रों में संकेन्द्रण को ऋण नीति में इंगित स्तरों और नाबार्ड/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाई गई विवेकपूर्ण सीमाओं तक कम करना शामिल है.

ऋण समीक्षा: मंजूरी प्रक्रिया की समीक्षा और मंजूरी पश्चात् प्रक्रियाओं/ कार्यविधियों की स्थिति (केवल बड़े खातों तक सीमित नहीं)

- सभी नए प्रस्ताव और ऋण सीमाओं के नवीकरण के लिए प्रस्ताव (मंजूरी की तिथि से 3-6 माह के भीतर)
- गतिविधि के आकार के आधार पर कट-ऑफ के बराबर या उससे ऊपर की मंजूरी सीमा वाले सभी मौजूदा खाते
- शेष पोर्टफोलियो से यादृच्छिक रूप से चयनित (5-10%) प्रस्ताव.
- उपरोक्त खातों के संबंध में, सहयोगी/ ग्रुप/ सह-संस्थाओं के खाते, भले ही ऋणसीमा कट-ऑफ से कम हो.

4) **समीक्षा की आवृत्ति**

समीक्षा की आवृत्ति जोखिम की मात्रा के आधार पर बदलती रहनी चाहिए (जैसे, उच्च जोखिम वाले खातों के लिए - 3 माह, औसत जोखिम खातों के लिए - 6 माह, कम जोखिम वाले खातों के लिए - 1 वर्ष). समीक्षा फ्रेमवर्क में निम्नलिखित बिंदु होने चाहिए:

- सामान्य विनियामक अनुपालन पर फीडबैक.
- नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के पर्याप्तता की जाँच.
- ऋण जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा.
- रिपोर्टिंग प्रणाली और उसके अपवादों की जाँच.
- स्टाफ सदस्यों के ऋण प्रशासन और ऋण कौशल के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा.
- निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान.

5) **ऋण समीक्षा तंत्र/ ऋण लेखा परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि**

i. ऋण लेखा परीक्षा स्थल पर अर्थात् उस शाखा में की जाती है जिसने अग्रिम का मूल्यांकन किया है और जहाँ मुख्य सक्रिय ऋण सीमाएँ उपलब्ध कराई गई हैं.

ii. आबंटित ऋण सीमाओं के खातों के संचालन पर रिपोर्ट संबंधित शाखाओं से माँगी जानी चाहिए.

iii. ऋण लेखा परीक्षकों को उधारकर्ताओं के कारखाने/ कार्यालय परिसर में जाने की आवश्यकता नहीं है.

ऋण समीक्षा के दौरान उठाए जाने वाले कदम:

i. निर्धारित करें कि- क्या समीक्षा की जानी है और कब की जानी है, समय और संसाधन की क्या सीमाएँ हैं.

ii. समीक्षा किए गए ऋण समग्र रूप से पोर्टफोलियो के प्रतिनिधि होने चाहिए.

iii. समीक्षा के लिए न्यूनतम ऋण राशि स्थापित करें.

iv. सांख्यिकीय आधार पर यादृच्छिक नमूने नियोजित करें.

v. (संदिग्ध) उद्योग संकेंद्रण का पता लगाया जाना चाहिए और जाँच की जानी चाहिए.

vi. कुछ वित्तीय अभिलक्षणों वाले उधारकर्ताओं की जाँच की जानी चाहिए, उदाहरण के लिए, अनियमित आय, ब्याज-संवेदनशील लीवरेज जो उद्योग मानकों से अधिक है.

vii. किसी विशेष शाखा या अधिकारी के ऋण की जाँच करें जहाँ अशक्तता या अक्षमता का संदेह है.

viii. ऋण समीक्षा की आवृत्ति जोखिम रेटिंग पर आधारित है - जोखिम जितना अधिक होगा, समीक्षा की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी.

ix. उन स्थितियों की निगरानी करें जहाँ सुधारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.

x. मूल चुकौती कार्यक्रमों, मूल्य निर्धारण, निधि प्रबंधन लक्ष्यों, उचित निगरानी के अनुरूप ऋण संबंधी गतिविधि की समीक्षा करने के लिए ऋण विभाग की बैठकों में उपस्थित रहें.

6) **ऋण समीक्षा की विषयवस्तु:** व्यक्तिगत ऋण की जाँच करते समय पाँच विशिष्ट मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए:

i. **ऋण गुणवत्ता -**

1. ऋण जोखिम पुन: मूल्यांकन - ऋण की जाँच करते समय, ऋण समीक्षा को अनिवार्य रूप से या तो ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई जोखिम रेटिंग की पुष्टि करनी चाहिए या इसे परिवर्तित करना चाहिए और ऐसे परिवर्तन को प्रमाणित करना चाहिए.
2. शर्तों के अनुसार चुकौती की संभावना का पता लगाने के लिए खातों के परिचालन और अनुवर्ती उपायों का सत्यापन.

ii. **प्रलेखीकरण -** ऋण समीक्षा को बैंक के लिए सुरक्षा में सुधार करने, समस्या की परिस्थिति में बैंक की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से त्रुटियों को इंगित करना चाहिए. ऋण में गिरावट के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा की अनुशंसा की जा सकती है. ऋण समीक्षा मौजूदा समस्याओं की पहचान करने और भविष्य की समस्याओं को खत्म करने दोनों से संबंधित होनी चाहिए. प्रलेखीकरण की पर्याप्तता

ऋण नीति के अनुसार प्राप्त किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची पर विचार करके निर्धारित की जानी चाहिए.

iii. **संपार्श्विक का परिसमापन मूल्य -** ऋण समीक्षा तंत्र संपार्श्विक की पर्याप्तता की समीक्षा इसके परिसमापन मूल्य का निर्धारण करके करेगा न कि बही मूल्य निर्धारण करके. ऋण समीक्षा से संबंधित कार्मिकों को संपार्श्विक के साथ काम करने में, परिसमापन मूल्यों की पहचान करने में और यह जानने में अनुभव होना चाहिए कि परिसमापन में क्या शामिल है. यह ऋण समीक्षा की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तुनिष्ठ तृतीय-पक्षीय दृष्टिकोण प्रदान करे ताकि उधारदाताओं द्वारा वास्तविक ऋण-से-संपार्श्विक संबंध बनाए रखा जा सके.

iv. **मूल्य निर्धारण और निधि प्रबंधन के उद्देश्य** - समीक्षा में समग्र रूप से पोर्टफोलियो की लाभप्रदता के साथ-साथ व्यक्तिगत ऋण की लाभप्रदता का मूल्यांकन शामिल होना चाहिए. ऋण समीक्षा में व्यक्तिगत ऋण में शामिल जोखिम पर विचार करते हुए ऋण के मूल्य निर्धारण का पता लगाना चाहिए. इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य निर्धारण उस विशेष ऋण पोर्टफोलियो के निधि प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं.

v. **ऋण नीति, विधियों और विनियमों का अनुपालन** – ऋण समीक्षा तंत्र की प्रक्रिया में बैंक की निर्धारित नीतियों के अनुपालन और मंजूरी के संबंध में विनियामक अनुपालन का सत्यापन शामिल होना चाहिए. इसके अलावा, इसमें नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की पर्याप्तता की जाँच करने पर सामान्य विनियामक अनुपालन शामिल होना चाहिए.

बैंकों द्वारा लिए गए एक्सपोजरों की ऋण समीक्षा प्रतिदर्शीय आधार पर की जा सकती है जिसे बैंक के पेशेवरों के निर्णय के साथ सांख्यिकीय दृष्टिकोण के आधार पर चुना जाता है. ऋण समीक्षा तंत्र/ नीति में समीक्षा प्रक्रिया की आवृत्ति, अंतराल, प्रक्रियाओं का उल्लेख होना चाहिए. एक्सपोजर के प्रकार के लिए ऋण समीक्षा की क्रियाविधियों के एक भाग के रूप में उधारकर्ता-वार और साथ ही सुविधावार विस्तृत जाँच सूची तैयार की जानी चाहिए.

6.5 ऋण जोखिम रिपोर्टिंग ढाँचा

जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के एक प्रमुख घटक हेतु सही समय पर सही लोगों को सही जानकारी की प्रस्तुति की आवश्यकता होती है. इसलिए, सटीक, स्पष्ट और पूर्ण डेटा के आधार पर ऋण जोखिम रिपोर्टिंग, ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है. बैंक के पास एक रिपोर्टिंग ढाँचा होना चाहिए जो प्रबंधन कार्रवाई और मौजूदा सीमाओं के संशोधन की सुविधा प्रदान करता है. इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए:

1. जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट शुद्ध और सटीक होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक का निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एकत्रित जानकारी पर दृढ़ता के साथ भरोसा कर सके. रिपोर्ट को यथोचित निर्णयकर्ताओं को एक समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो एक प्रभावी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है.

2. ऋण जोखिम रिपोर्ट में संबंधित क्षेत्र के जोखिम घटक, संकेद्रण, उद्योग आदि को शामिल करते हुए सभी भौतिक घटक शामिल होने चाहिए और यह रिपोर्ट बैंक के परिचालन की जटिलता और प्राप्तकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए.
3. गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट संबंधित पक्षों को वितरित की जानी चाहिए.

कुल मिलाकर, ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों को निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन और बाहरी पक्षों को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें बैंक के स्तर पर ऋण जोखिम को समझने में सहायता मिल सके.

7. आंतरिक लेखा परीक्षा के साथ परस्पर क्रिया

निरीक्षण और लेखा परीक्षा विभाग, एक स्वतंत्र इकाई होने के नाते, बैंक में समग्र ऋण जोखिम प्रबंधन ढाँचे की अभिकल्पना और परिचालन प्रभावशीलता पर एक मूल्यांकन प्रदान करेगा. आवधिक समीक्षा में निम्नांकित बिंदु शामिल होंगे, लेकिन यह समीक्षा इन बिन्दुओं तक सीमित नहीं है:

1. निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणाली, उपकरणों आदि की समग्र पर्याप्तता सहित ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता.
2. भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के दिशानिर्देशों और स्थापित ऋण जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ बैंक का अनुपालन.
3. आवधिक आधार पर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा ऋण जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, अनुमोदन और स्पष्ट रूप से संचार किया जाता है.
4. जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को निर्धारित नीतियों और क्रियाविधियों के अनुसार प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, और सभी बाध्यताओं और सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाता है.
5. ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन संवितरण से पहले प्राधिकरण के उचित स्तर द्वारा किया जाता है.
6. आंतरिक रेटिंग ग्रेड उचित रूप से परिभाषित किया जाता है और वे व्यावसायिक इकाइयों में निरंतर लागू किए जाते हैं.
7. ऋण जोखिम मापन और दबाव परीक्षण की उचित स्तर और आवृत्ति बनाए रखी जाती है.
8. पर्याप्त आईटी प्रणालियां मौजूद हैं और इन्हें जैसा निर्धारित है उसके अनुसार उपयोग के लिए कार्यान्वित किया जाता है.
9. एक्सपोजरों को विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के माध्यम से निर्धारित सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाता है.
10. विनियामक और आंतरिक दोनों रिपोर्टें विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों में जैसा निर्धारित है उसके अनुसार तैयार की जाती हैं और समीक्षा की जाती हैं.

8. दबाव परीक्षण

दबाव परीक्षण जोखिम प्रबंधन की एक तकनीक है जो यह विश्लेषण करती है कि यदि स्थितियाँ/ परिस्थिति, जिसमें उधारकर्ता काम करते हैं उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन होता है तो व्यक्तिगत ऋण और समग्र ऋण पोर्टफोलियो के साथ संभावित रूप से क्या अनुचित हो सकता है. ऋण जोखिम के लिए दबाव परीक्षण का उद्देश्य बैंक के वित्तीय प्रदर्शन और पूंजी पर्याप्तता पर ऋण जोखिम कारकों के प्रभाव का आकलन करना है.

बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक/ नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार संवेदनशीलता दबाव परीक्षण करना चाहिए ताकि उनके कार्यनिष्पादन पर दबाव-परिदृश्य के प्रभाव का परिमाण निर्धारित किया जा सके और कारोबार की कार्यनीति, जोखिम प्रबंधन और पूंजी प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में वरिष्ठ प्रबंधन की सहायता की जा सके.

प्रत्येक दबाव परीक्षण के बाद अनुशंसित सुधारात्मक कार्यों के संबंध में एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए. वरिष्ठ प्रबंधन को नियमित रूप से दबाव परीक्षणों और आकस्मिक योजनाओं के परिणामों की समीक्षा करनी चाहिए. परिणामों को ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की समीक्षा करने, और सीमाएँ तथा प्रावधानन स्तरों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में काम करना चाहिए.

9. अनुबंध I - अभिशासन संरचना

(i) निदेशक मंडल:

बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने और ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों की देखरेख करने में निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यह ऋण जोखिम सहित जोखिम के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. बैंक का निदेशक मंडल अपनी ऋण जोखिम रणनीति, जोखिम उठाने की क्षमता और ऋण जोखिम से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को अनुमोदित करेगा.

(ii) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) एक निदेशक मंडल के स्तर की उप-समिति होगी जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम प्रबंधन समितियों के प्रमुख शामिल होंगे. चूँकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के परिचालनों की संख्या, आकार और प्रकृति वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम है, इसलिए वे प्रारंभ में तत्कालिक रूप से एक छोटा ऋण और परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं और बाद के चरण में निवेश पोर्टफोलियो की मात्रा के आधार पर, संबंधित बैंकों के निदेशक मंडल एक अलग बाजार जोखिम समिति बनाने का निर्णय ले सकते हैं.

आरएमसी ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोजर को शामिल करते हुए एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी. इस प्रयोजन के लिए, आरएमसी को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हो, के बीच प्रभावी ढंग से समन्वय करना चाहिए. यह जरूरी है कि आरएमसी की स्वतंत्रता संरक्षित रहे इसलिए निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे किसी भी कीमत पर समझौता न किया जाए. यदि निदेशक मंडल इस समिति की किसी अनुशंसा को स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसी कार्रवाई के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए प्रणाली बनाई जानी चाहिए और इसे उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए. यह दस्तावेज आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षकों को उनकी जाँच और टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए. आरएमसी द्वारा अपनाई गई ऋण जोखिम रणनीति और नीतियों को पूरे संगठन में प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जाना चाहिए.

(iii) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी):

प्रत्येक बैंक को संगठन के आकार या ऋण/ निवेश पुस्तिका के आधार पर एक उच्च-स्तरीय ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) का गठन करना चाहिए. समिति के सदस्यों को बिजनेस लाइन प्रबंधकों से भिन्न होना चाहिए, अर्थात, ऋण मूल्यांकन और मंजूरी देने की जिम्मेदारियों से संबद्ध व्यक्तियों के अलावा. इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ महाप्रबंधक द्वारा की जानी चाहिए और इसमें ऋण विभाग, ट्रेज़री और ऋण जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ/ विभाग (सीआरएमसी/ सीआरएमडी) के प्रमुख शामिल होने चाहिए.

सीआरएमसी की भूमिका:

1) ऋण जोखिम प्रबंधन की देखरेख करें और आश्वासन प्राप्त करें कि बैंक के सामने आने वाले प्रमुख ऋण जोखिमों की ठीक से पहचान की गई है और उन्हें उचित रूप से प्रबंधित किया जा रहा है.
2) ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नीतियों की समीक्षा और अनुशंसा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया विनियामक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप है.
3) समग्र जोखिम वहन क्षमता और ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीति की समीक्षा करें.
4) एक्सपोजर सीमाओं की आवधिक समीक्षा करें जिसमें ऋण सीमाओं के निर्धारण की पद्धति शामिल है और यह सुनिश्चित करें कि उनका समावेशन जोखिम नीतियों/ प्रक्रियाओं में किया गया है.
5) बैंक की ऋण रेटिंग प्रक्रिया की समीक्षा करें.
6) पोर्टफोलियो संरचना और संकेद्रण, गुणवत्ता, रेटिंग माइग्रेशन, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्लिपेज, डेलिनक्वेंसी और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की समीक्षा.
7) ऋण जोखिम प्रोफाइल और किसी भी आंतरिक और बाहरी प्रमुख घटना तथा पोर्टफोलियो और बैंक पर उनके प्रभाव की समीक्षा.
8) गैर-अनुपालन की समीक्षा, सीमा उल्लंघनों, लेखा परीक्षा/ विनियामक निष्कर्षों और नीति अपवादों की समीक्षा.

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिकाएँ:

वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रणनीतिक निदेशों को नीतियों और प्रक्रियाओं के रूप में आकार दे. वरिष्ठ प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि नीतियाँ बैंक की संस्कृति में सन्निहित हैं. वरिष्ठ प्रबंधन बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और नीतियों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इन नीतियों के अनुसार ऋण जोखिम और ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए प्रक्रियाएँ बनाई गई हैं.

ऋण जोखिम प्रबंधन के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन की जिम्मेदारियों में निम्लिखित बिंदु शामिल होंगे:

1) निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए ऋण नीतियों और ऋण प्रशासन प्रक्रियाओं को तैयार करना.
2) एक प्रभावी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों को लागू करना.
3) उपयुक्त रिपोर्टिंग प्रणाली के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना.
4) बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की प्रकृति और संरचना की निगरानी और नियंत्रण करना.
5) ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करना.
6) आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना तथा उत्तरदायित्व और अधिकार की स्पष्ट रेखाएं निर्धारित करना.

10. अनुबंध II - प्रतिरक्षा के तीन अंगों की भूमिकाएँ

(i) व्यवसाय विभाग

व्यवसाय विभागों को ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और ऋण जोखिमों के प्रबंधन में प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है. व्यवसाय विभाग यह करने के लिए जिम्मेदार होगा:

1) सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी नीतियाँ और दिशानिर्देश ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के साथ-साथ परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में निर्धारित नए उत्पाद अनुमोदन ढाँचे के अनुरूप हैं.
2) मंजूरी और प्रशासन कार्यों को अलग करने.
3) नीति में उल्लिखित जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने.
4) रेटिंग मॉडल और रिकॉर्ड रेटिंग माइग्रेशन का परिचालित करने.
5) ऋण जोखिम मॉडल की किसी भी संभावित अशक्तताओं और सीमाओं की पहचान करने के लिए जिनके होने की संभावना है जो उनकी अनुप्रयोज्यता या उपयुक्तता को प्रतिबंधित कर सके.
6) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में निर्धारित एक्सपोजर मानदंडों का पालन करने.
7) परिभाषित मापदंडों के भीतर किसी भी विचलन को रिकॉर्ड करने और अनुमोदित करने तथा उनके संबंध में सीआरएमडी से संवाद स्थापित करने.
8) व्यवसाय और ऋण जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए डेटा एकत्र करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकत्र किया गया डेटा उचित गुणवत्तायुक्त, सटीक और पूर्ण है.
9) ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट करना.
10) समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सीआरएमडी को एसएमए और एनपीए डेटा को रिपोर्ट करने.
11) ऋण खाते में पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान करने और चूक पूर्वानुमान करने.

(ii) ऋण जोखिम प्रबंधन प्रकोष्ठ/ विभाग

इसकी निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ होंगी:

1) बैंक की विभिन्न ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों/ फ्रेमवर्क, पद्धति को तैयार करना और उनकी समीक्षा करना.
2) अनुमोदित जोखिम मापदंडों और बैंक के स्तर पर विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम को मापना और निगरानी करना.
3) सुनिश्चित करना कि ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नीतियों और मानकों को सूचित किया जाता है.
4) इस संबंध में मॉडल विकसित करना और उचित सत्यापन और अनुमोदन प्रक्रिया को कार्यान्वित करना.
5) ऋण जोखिम दबाव परीक्षण करना.
6) बैंक में संपार्श्विक प्रबंधन द्वारा प्रभावी ऋण जोखिम शमन के लिए फ्रेमवर्क विकसित करना.

(iii) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य

आंतरिक लेखापरीक्षा, एक स्वतंत्र इकाई होने के नाते, बैंक में समग्र ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के अभिकल्पना और परिचालन प्रभावशीलता पर एक मूल्यांकन प्रदान करेगी. आवधिक समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगी.

1) निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणाली, उपकरणों, वैधीकरण, तथा दबाव परीक्षण, डेटा अखंडता आदि सहित मॉडलों की समग्र पर्याप्तता को शामिल करते हुए ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता.
2) विनियामक दिशानिर्देशों और ऋण जोखिम नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ बैंक का अनुपालन.
3) ऋण जोखिम नीतियों और दिशानिर्देशों को आवधिक रूप से अनुमोदित/ समीक्षा की जाती है.
4) जोखिम मूल्यांकन प्रणालियाँ निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं और सभी बाध्यताओं और सुविधाओं की रेटिंग की जाती है.
5) ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन संवितरण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है.
6) आंतरिक रेटिंग ग्रेड परिभाषित किए जाते हैं और वे व्यावसायिक इकाइयों में लागू होते हैं.
7) एक्सपोजरों को विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के माध्यम से निर्धारित सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाता है.
8) विनियामक और आंतरिक दोनों रिपोर्टें विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों में निर्धारित अनुसार तैयार की जाती हैं और समीक्षा की जाती हैं.
9) ऋण लेखा परीक्षा संचालित करना.
10) प्रभावी ऋण समीक्षा तंत्र को लागू करना और निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करना.

11. अनुबंध III - जोखिम वहन-क्षमता विवरण का नमूना

मान लीजिए कि बैंक 1 (कम ऋण जोखिम) से 4 (अधिक ऋण जोखिम) के पैमाने पर आंतरिक ऋण रेटिंग ग्रेड का पालन करते हैं.

आंतरिक ऋण रेटिंग के आधार पर एक्सपोजर सीमा :

	एक्सपोजर सीमाएँ (प्रत्येक ऋण रेटिंग ग्रेड हेतु)
उधारकर्ता-वार (एकल/ वैयक्तिक उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह)	1. पूँजीगत निधियों के % (प्रतिशत) के रूप में 2. ऋण बहियों (अनर्जक आस्तियों को छोड़कर) के % (प्रतिशत) के रूप में 3. उधारकर्ता की निवल संपत्ति के गुणा 4. मूल्य के रूप में
उत्पाद-वार	1. पूँजीगत निधियों के % (प्रतिशत) के रूप में 2. ऋण बहियों (अनर्जक आस्तियों को छोड़कर) के % (प्रतिशत) के रूप में 3. उधारकर्ता की निवल संपत्ति के गुणा 4. मूल्य के रूप में

बैंकों को ऋण जोखिम सीमा के आधार पर भी जोखिम वहन-क्षमता को परिभाषित करना चाहिए :

क्रम सं.	**विशेषता**	**वहन-क्षमता**
1	सकेन्द्रण जोखिम – क्षेत्र	कुल ऋण पोर्टफोलियो के समक्ष किसी विशेष क्षेत्र हेतु एक्सपोजर का अधिकतम प्रतिशत (%)
2	सकेन्द्रण जोखिम – एनपीए	निवल एनपीए की अधिकतम कुल सीमा
3	सकेन्द्रण जोखिम – एनपीए	एनपीए का उधारकर्ता वार (वैयक्तिक/ समूह) अधिकतम प्रतिशत बनाए रखा जाना चाहिए
4	सकेन्द्रण जोखिम – एनपीए	प्रत्येक क्षेत्र के एनपीए का अधिकतम प्रतिशत (%) बनाए रखा जाना चाहिए
5	एक्सपोजर हेतु न्यूनतम पात्र रेटिंग	एक्सपोजर हेतु पात्र न्यूनतम रेटिंग ली जाएगी
6	ऋण रेटिंग	न्यूनतम ऋण रेटिंग बनाए रखी जानी चाहिए

7	वसूली जोखिम	उधारकर्ता से संपार्श्विक की न्यूनतम राशि प्राप्त की जानी चाहिए
8	वसूली जोखिम	कुल ऋणों में प्रतिभूति ऋणों का न्यूनतम % बनाए रखा जाना चाहिए

12. अनुबंध IV - ऋण मूल्यांकन और आकलन

बैंक सभी ऋण उत्पादों के मूल्यांकन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ तैयार करे. विभिन्न ऋण उत्पादों के विश्लेषण में कम से कम निम्नलिखित पहलुओं को किया जाना चाहिए:

(i) ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया:

श्रेणी	जिन क्षेत्रों का आकलन किया जाना है
उधारकर्ता की प्रोफाइल	1. उधारकर्ता की पृष्ठभूमि, ऋण का उद्देश्य एवं आय के स्रोत को शामिल करते हुए उधारकर्ता की प्रोफाइल.
	2. उधारकर्ता की नेटवर्थ
	3. उधार लेने की क्षमता, बोर्ड संकल्प आदि जैसे देयताओं को ग्रहण करने की कानूनी क्षमता
	4. उधारकर्ता द्वारा इक्विटी में/ स्वयं द्वारा किया गया निवेश
	5. बिलों के भुगतान का विवरण और/ या पूर्व ऋणों का चुकौती
	6. ज्ञात पार्टियों, ऋण रजिस्ट्रियों का मूल्यांकन करके, बाजार स्रोत से प्राप्त संदर्भ
	7. प्रबंधन से संबन्धित जोखिमों का आकलन
	8. उधारकर्ता की सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा
वित्तीय मूल्यांकन	1. निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता के वित्तीय स्वास्थ्य से सबंधित पर्याप्त जानकारी :
	(i) तुलन पत्र का विश्लेषण
	(ii) ऋण-शोधक्षमता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, कवरेज अनुपात, लीवरेज अनुपात, उत्पादकता अनुपात, आवर्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए अनुपात विश्लेषण
	(iii) वर्ष-दर-वर्ष विकास दर को ध्यान में रखते हुए पिछले 3-5 वर्षों का प्रवृत्ति विश्लेषण
	2. जोखिम और प्रतिफल संबंध और समग्र लाभप्रदता का आकलन.
	3. उधारकर्ता के चुकौती संबंधी विवरण और भावी नकदी प्रवाह के अनुमान के आधार पर चुकौती करने की मौजूदा क्षमता.
	4. संबन्धित क्षेत्र में उधारकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता, इसकी स्थिति और क्षेत्रीय दृष्टिकोण.
	5. जोखिम की प्रकृति और जोखिम की कुल राशि को शामिल करते हुए उधारकर्ता की वर्तमान जोखिम प्रोफाइल.
	6. बाहरी रेटिंग, जहाँ भी लागू हो

संपार्श्विक मूल्यांकन	1. विभिन्न परिदृश्यों में संपार्श्विक और गारंटियों की उपयुक्तता और प्रवर्तनीयता
	2. बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन नीति के तहत संपार्श्विक के विभिन्न प्रकारों की स्वीकार्यता और ऐसे संपार्श्विक के लिए चल रहे मूल्यांकन की कार्यविधि तथा यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि संपार्श्विक है और प्रवर्तनीय तथा सरलता से वसूली योग्य है
	3. ऋण को सुरक्षित करने के लिए गारंटी के संबंध में, गारंटीकर्ता की ऋण गुणवत्ता और कानूनी क्षमता के संबंध में प्रदान किए जा रहे कवरेज के स्तर का मूल्यांकन बैंक करेगा.
शर्तें	सुविधा के प्रस्तावित नियम और शर्तें जिनमें उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल में परिवर्तन के कारण जोखिमों को सीमित करने के लिए बनाए गए अनुबंध शामिल हैं.

टिप्पणी:

1. बाध्यताधारियों के एक समूह को बतौर संबद्ध प्रतिपक्षकारी एकल बाध्यताधारी के रूप में वर्गीकृत करने की उपयुक्त प्रक्रिया. इसमें कॉरपोरेट या गैर-कॉरपोरेट को शामिल करते हुए वित्तीय रूप से एक दूसरे पर निर्भरता को प्रदर्शित करने वाले खातों के समूहों के लिए एक्सपोजर एकत्र करना शामिल होगा, जहाँ वे सामान्य स्वामित्व / नियंत्रण में है या मजबूत कनेक्टिंग लिंक (उदाहरण के लिए, सामान्य प्रबंधन, पारिवारिक संबंध) के साथ हैं.
2. उत्पाद, ग्राहक, ऋण, निवेश आदि से संबन्धित कोई अन्य कारक.

(ii) **वित्तपोषण के प्रकार के आधार पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन :** प्रस्ताव के वित्तीय मूल्यांकन लिए जा रहे ऋण के प्रकार पर निर्भर करेगा. वे विश्लेषण जो किए जाने वाले हैं उनकी प्रकृति सुविधा के प्रकार अर्थात अल्पावधि ऋण या दीर्घावधि ऋण के आधार पर अलग अलग होगी. बैंक नीचे दिए गए पहलुओं को शामिल करने वाली प्रत्येक प्रकार की सुविधा के लिए अलग- अलग प्रक्रियाएँ विकसित करेंगे:

1) **अल्पावधि/ खुदरा ऋण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन:** छोटी राशि के ऋणों का ऋण मूल्यांकन थोक ऋणों से ऋण के आकार, लेनदेन की जटिलता, शामिल लागतों के संदर्भ में भिन्न होता है. इसलिए, बैंकों को खुदरा वित्तपोषण के लिए अलग-अलग ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाना चाहिए. खुदरा वित्तपोषण एक अंक-पत्र आधारित प्रक्रिया है जिसमें यदि कोई उधारकर्ता पूर्व निर्धारित ऋण मैट्रिक्स के अनुसार सही बैठता है और प्रारंभिक सीमा से अधिक अंक प्राप्त करता है तो ऋण को मंजूर/ अनुमोदित किया जाता है. इन अंक-पत्रों को बैंक के ऋण प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया जाए.

   ऋण उत्पादों के अंक-पत्र पर आधारित पोर्टफोलियो, सीआरएमसी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे. नियमित आवृत्ति में इसकी निगरानी की जानी चाहिए और पोर्टफोलियो के कार्यप्रदर्शन के आधार पर मापदण्डों को संशोधित किया जाना चाहिए.

   वैकल्पिक रूप से, बैंक इस प्रकार के ऋणों के लिए केवल बाहरी रेटिंग का उपयोग करना चुन सकते हैं।

2) **थोक वित्तपोषण :** थोक वित्तपोषण हेतु ऋण मूल्यांकन में मामला-दर-मामला आधार पर लेनदेन शामिल है, जिसमें पांच सी(कैरेक्टर, कैपासिटी, कोलैटरल, कैपिटल, कंडीशन) पर अधिक बल दिया गया है. समुचित सावधानी के एक भाग के रूप में विस्तृत मूल्यांकन नोट या सूचना ज्ञापन का उल्लेख किया जाना चाहिए जिसमें उधारकर्ता की सभी जानकारी, प्रस्तावित सुविधा आदि शामिल है.

गैर-निधि व्यवसाय में ऋण जोखिम का मूल्यांकन : बैंक के गैर-निधि आधारित व्यवसाय में ऋण जोखिम का मूल्यांकन उसी तरह करने की आवश्यकता है जैसा निधि आधारित व्यवसाय हेतु किया जाता है क्योंकि यदि उधारकर्ता अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो इसमें वित्त पोषित देयता बनने की संभावना है. वित्तीय गारंटी की प्रकृति आमतौर पर दीर्घकालिक होती है, इन आवश्यकताओं का मूल्यांकन सावधि ऋण हेतु किए गए अनुरोधों के मूल्यांकन के समान होना चाहिए. चूंकि अनुबंध आमतौर पर 2-3 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, बैंकों को इस समयावधि तक नकदी प्रवाह हासिल कर लेना चाहिए, जो उस विशिष्ट संविदा से उत्पन्न होता है जिसका वे समर्थन करना चाहते हैं और संविदा के वित्तपोषण की व्यवहार्यता निर्धारित करते हैं.

13. अनुबंध V - ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क की बुनियादी संरचना

निम्नलिखित कारक बैंकों द्वारा नियोजित क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क (सीआरएफ) की बुनियादी संरचना को रेखांकित करते हैं :

1. **ग्रेडिंग प्रणाली -** आंतरिक ऋण जोखिम ग्रेडिंग प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले ग्रेड (प्रतीक, संख्या, अक्षर, वर्णनात्मक शब्द) को बिना किसी अस्पष्टता के एक्सपोजर से संबंधित डिफ़ाल्ट जोखिमों को प्रस्तुत करना चाहिए. ग्रेडिंग प्रणाली को शीर्ष प्रबंधन के निर्णय लेने और विश्लेषण के उद्देश्य से जोखिमों की तुलना के संबंध में सक्षम बनाना चाहिए. इसे आस्ति वर्गीकरण (जैसे – आरबीआई द्वारा निर्धारित आस्ति वर्गीकरण) पर पर्यवेक्षक की विनियामक आवश्यकताओं को भी प्रस्तुत करना चाहिए. यह अनुमानित है कि जोखिम की पहचान और जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में समय के साथ गुणवत्तापरक सुधार किया जाएगा. इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली लचीली होनी चाहिए और जोखिम वर्गीकरण में गुणवत्तापरक सुधार को शामिल किया जाना चाहिए.

ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया (जैसे उधारकर्ता की समुचित सावधानी, ऋणपात्रता, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति की जानकारी, संपार्श्विकों की कानूनी प्रवर्तनीयता)में विभिन्न कार्य हेतु बैंकों के पास एक सुस्पष्ट चेकलिस्ट होनी चाहिए.

1. **ग्रेडिंग प्रणाली की प्रकृति :** सीआरएफ़ में अपनाई गई ग्रेडिंग प्रणाली एक अक्षर या संख्या या अक्षर और संख्या मिश्रित स्केल हो सकती हैं. चूंकि रेटिंग एजेंसियां एक विशेष स्केल (एएए, एए+, बीबीबी) का पालन करती हैं, आंतरिक संचार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए एक अलग रेटिंग स्केल को अपनाना समझदारी होगी. इसके अलावा एक अलग रेटिंग स्केल को अपनाने से दो प्रक्रियाओं के बीच तुलनीय मानदंड स्थापित कर सकेंगे. कुछ बैंक अक्षरीय रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं. ऋण जोखिम हेतु 'स्वीकार्य' और 'अस्वीकार्य' वर्गीकरण के लिए ग्रेड की संख्या जोखिम हेतु प्राप्त कुशल ग्रेड पर निर्भर करती है. आमतौर पर सीआरएफ़ के लिए बनाए गए संख्यात्मक स्केल ऐसे होते हैं कि ऋण जोखिम जितना कम होगा स्केल पर कैलिब्रेशन उतना ही कम होगा.

2. **प्रयोग किए गए ग्रेडों की संख्या:** सीआरएफ़ में प्रयोग किए जा रहे ग्रेडों की संख्या बैंक द्वारा किए गए एक्सपोजर की ऋण गुणवत्ता में प्रत्याशित प्रसार पर निर्भर करती है. यह बदले में बैंक के वर्तमान और भविष्य के व्यवसायिक प्रोफाइल और ऋण पोर्टफोलियो विशेषज्ञता/ विविधीकरण के प्रत्याशित स्तर पर निर्भर करता है. रेटिंग स्केल पर कई स्तरों/ ग्रेड वाले सीआरएफ़, जैसा कि स्पष्ट है, यह संचालित करने के लिए अधिक महंगे हैं क्योंकि ऋण गुणवत्ता के उत्तम ग्रेडेशन हेतु अतिरिक्त जानकारी का मूल्य तेजी से बढ़ता है. एक बैंक अपेक्षाकृत छोटे/ संकुचित स्केल पर जोखिम ग्रेडिंग गतिविधि शुरू कर सकता है और जोखिम वर्गीकरण में सुधार होने पर नया वर्गीकरण पेश कर सकता है.

स्केल "1" (जो ऋण जोखिम का निम्न स्तर और सुरक्षा /सुविधा का उच्चतम स्तर दर्शाता है) से शुरू होकर 9 (जो ऋण जोखिम का उच्चतम स्तर और सुरक्षा/ सुविधा का निम्नतम स्तर दर्शाता है) पर समाप्त होने वाला स्केल को

कैलिब्रेशन, मानदंड निर्धारित करने, बैंक के एक्सपोजर से जुड़े ऋण जोखिम की निगरानी और तुलना करने तथा ऋण जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश देने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है. प्रत्येक बैंक अपने रेटिंग स्केल के लिए उपयुक्त अक्षर को प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करने पर विचार कर सकते हैं, जो उनके निजी रेटिंग स्केलों को विशिष्ट और अलग रूप देंगे.

एक सांकेतिक उदाहरण नीचे दिया गया है:

रेटिंग स्कोर		रेटिंग स्केल	जोखिम श्रेणी	रेटिंग ग्रेड	जोखिम प्रीमियम
90	100	1	बहुत कम जोखिम	स्वीकार्य ग्रेड	निर्णय बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए
80	90	2	कम जोखिम		
70	80	3	मध्यम रूप से कम जोखिम		
60	70	4	उचित जोखिम		
50	60	5	मध्यम जोखिम		
40	50	6	मध्यम उच्च जोखिम	अस्वीकार्य ग्रेड	
30	40	7	भारी जोखिम		
20	30	8	बहुत अधिक जोखिम		
0	20	9	अत्यधिक जोखिम		

ऋण प्रस्ताव को मंजूरी देते समय रेटिंग ग्रेड का आकलन किया जाना चाहिए। एक रेटिंग स्केल में 9 स्तर शामिल हो सकते हैं, जिनमें से स्तर 1 से 5 स्वीकार्य क्रेडिट जोखिम के विभिन्न ग्रेड का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्तर 6 से 9 अस्वीकार्य क्रेडिट जोखिम के विभिन्न ग्रेड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्राप्त रेटिंग स्कोर और उससे जुड़े जोखिमों के अनुसार ब्याज दरों पर लागू जोखिम प्रीमियम तय करने के लिए जोखिम श्रेणी का उपयोग किया जाना चाहिए। जोखिम श्रेणी का निर्धारण ऋण स्वीकृत करते समय और उसके बाद के मूल्यांकन पर किया जाएगा। बैंक को नियमित आधार पर जोखिम रेटिंग और श्रेणी की निगरानी करनी चाहिए और 6.4.2 में उल्लिखित जोखिम रेटिंग माइग्रेशन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

2. सीआरएफ़ का परिचालन डिजाइन

क) वे एक्सपोजर जिनको रेटिंग प्रदान की जानी है:

ऋण रेटिंग प्रक्रिया को सुस्पष्ट और विशेष प्रकार के दो आयामों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है:

1. बाध्यताधारी के चूक पर जोखिम- अर्थात् किसी विशेष प्रकार के उधारकर्ता द्वारा चूक - बाध्यताधारी/ उधारकर्ता के लिए रेटिंग मॉड्यूल वित्तीय संकेतक, गैर वित्तीय मापदंड, प्रबंधन, प्रदान की गई सुरक्षा आदि सहित विभिन्न कारकों के आधार पर विकसित किए जाएंगे.

2. सुविधा जोखिम रेटिंग का प्रयोग करते हुए पाए गए लेनदेन विशिष्ट (ऋण उत्पाद का प्रकार) कारक - सुविधा वार जोखिम रेटिंग का विकास करना आवश्यक है क्योंकि इसमें शामिल जोखिम विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग होते हैं.

जोखिम रेटिंग प्रक्रिया: "जोखिम रेटिंग फ्रेमवर्क" जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित करने में उपयोग की जाने वाली पद्धतियों का विस्तृत विवरण प्रदान करेगा, जैसे मापदंडों का चयन, प्रतिशतता निर्धारण, गुणात्मक और मात्रात्मक साधन, विशेषज्ञ/ पेशेवर की राय, बाध्यताधारी और सुविधा जोखिम रेटिंग की मैपिंग, आंतरिक और बाह्य रेटिंग की मैपिंग आदि.

चरणबद्ध गतिविधियां, जोखिम रेटिंग मॉडल को डिजाइन करने की सांकेतिक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती हैं:

चरण 1: जोखिम रेटिंग हेतु घटकों की पहचान- बाध्यताधारी के चूक के जोखिम हेतु जोखिम रेटिंग मॉडल में मात्रात्मक संकेतकों के साथ-साथ गुणात्मक संकेतक भी शामिल होंगें. बैंक यह स्पष्ट कर सकते हैं कि आरंभिक चरण में केवल मात्रात्मक संकेतकों को शामिल करना है या नहीं.

चरण 2: प्रमुख व्यवसाय और वित्तीय जोखिम घटकों की प्रतिशतता निर्धारित करना

– उधारकर्ता चूक के जोखिमों के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों की निदर्शी सूची नीचे दर्शाई गई है:

संकेतक के प्रकार	**प्रमुख जोखिम घटक**	**प्रतिशतता (सांकेतिक)**	**विचार किए जाने वाले कारक**
मात्रात्मक	वित्तीय जोखिम	50%	वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, ट्रेंड का विश्लेषण,अनुमान, ऑफ-बैलेंसशीट एक्सपोजर.
गुणात्मक	प्रबंधन जोखिम, अनुपालन	50%	उधारकर्ता के प्रबंधन का अनुभव, उत्तराधिकार योजना या कोई प्रतिकूल जानकारी जैसे बकाया राशि का भुगतान न करना, धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधियां.

चरण 3: प्रमुख जोखिम घटकों के मुख्य मापदंड - मुख्य मापदंडों को स्थापित करना

(प्रधान जोखिम तत्वों के उप-घटक)

मात्रात्मक संकेतक और संबन्धित प्रतिशतता

सांकेतिक घटक	अर्जित अंक	प्रतिशतता
लाभप्रदता (निवल लाभ, परिचालन लाभ, आरओई, आरओए)		
लीवरेज अनुपात (एक्विटी के समक्ष ऋण, कुल आस्ति अनुपात के समक्ष ऋण, मूर्त निवल मालियत के समक्ष ऋण)		
चलनिधि अनुपात (चालू अनुपात, चल अनुपात, मूल आस्ति अनुपात, नकदी अनुपात)		
कवरेज अनुपात (ऋण सेवा कवरेज अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात, वित्तीय ऋण अनुपात के समक्ष परिचालन नकदी प्रवाह, नकदी प्रवाह कवरेज अनुपात)		
अर्जन गुणवत्ता (बिक्री के समक्ष परिचालन नकदी प्रवाह)		
परिचालनात्मक क्षमता (आस्ति आवर्त अनुपात, स्टॉक आवर्त, देनदार आवर्त अनुपात)		
कुल		**100%**

बैंक प्रत्येक मापदंडों हेतु मूल्यों की सीमा विकसित कर सकते हैं जिससे प्रत्येक मापदंडों के अंक को प्राप्त किया जा सके. उदाहरणार्थ:

सांकेतिक मापदंड						**प्रतिशतता**
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)						10%
मूल्यों की सीमा	2.00%	2.50%	2.75%	3.00%	3.25%	
अंक	1	2	3	4	5	
यदि किसी उधारकर्ता के पास 2.50 % निवल ब्याज मार्जिन है, तो उसे 5 में से 2 अंक दिया जाएगा.						

गुणात्मक संकेतक

सांकेतिक घटक	मूल्यों की सीमा	अंक	प्रतिशतता
प्रबंधन			
प्रबंधन का अनुभव			
व्यवसाय में वरिष्ठ प्रबंधन के वर्षों की कुल संख्या के आधार पर प्रबंधन की गुणवत्ता			

उत्तराधिकार योजना की स्थिति			
अनुपालन			
उधारकर्ता का पुनर्भुगतान विवरण			
कुल			**100**

बाध्यताधारी द्वारा चूक को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के उधारकर्ताओं हेतु प्रत्येक जोखिम घटकों के अंतर्गत मापदंडों की सूची ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी.

चरण 4 : सीआरएफ़ पर ऋण-जोखिम रेटिंग का निर्धारण

चरण 5: समतुल्य एक्सपोजर की पिछली जोखिम रेटिंग के साथ तुलना करें और स्थिरता की जांच करें.

चरण 6: सीआरएफ़ पर ऋण रेटिंग जोखिम कैलीब्रेशन को अंतिम रूप देना.